27.11.2024 पत्रावली प्रार्थिनी मय वकील के प्रार्थना पत्र पर तलब की गई। वकील प्रार्थीनी ने प्रार्थना पत्र पर दौराने बहस तर्क दिया कि प्रार्थिया की ओर से विपक्षी की भूमि से रास्ता हेतु आवेदन पेश किया गया था। उभय पक्षकार के मध्य आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा हो गया है। प्रार्थिया ने अपनी खातेदारी भूमि बेचान कर अपने रिश्तेदार के पास व्यतीत खरीद कर दी गई है। इसी कारण अब प्रार्थिया को रास्ता की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थिया अपना आवेदन आगे चलाना नहीं चाहती है अतः प्रार्थिया का आवेदन खारिज किया जावे।

हमने प्रार्थिया अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थिया द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का बेचान कर दिया गया है। अब प्रार्थिया को रास्ते की आवश्यकता नहीं है इस प्रकार विवाद हेतुक समाप्त हो चुका है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थिया का आवेदन इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा